कार्यालय प्राचार्य

शहीद गैंदसिंह नायक शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

Website - https://govtcollegemangchuwa.com   Email id - govcollegemangchuwa@gmail.com
(Accredited with 'C' Grade by NAAC)

क्रमांक / 1565 / अति.व्या. / स्था. / 2025   मंगचुवा, दिनांक 01 / 08 / 2025

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक / 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 / 07 / 2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1 दिनांक 23 / 07 / 2025 के अनुसार **शहीद गैंदसिंह नायक शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा, जिला – बालोद छ.ग.** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी / अतिथि क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन **दिनांक 08 / 08 / 2025** को सायं **5:00** बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	विषय का नाम	पद संख्या
01	समाजशास्त्र	01
02	क्रीड़ा अधिकारी	01

टीप :–

1. मेरिट सूची शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड / अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार होगी।
2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि **08 / 08 / 2025** है। आवेदन पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय **(प्रातः 10:30 से सायं 05:00 बजे तक)** में जमा कर सकते है। इस तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र पर स्वीकार नही किये जायेंगे।
3. आवेदन पत्र में मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।
4. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर अतिथि व्याख्याता एवं विषय का उल्लेख अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए।
5. चयन होने पर नियुक्ति के समय आवेदक को समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यप्रतिलिपि तथा मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
6. तत्संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग एवं माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश मान्य होंगे।

Principal
"Shaheed Gaindsingh Nayak"
Govt.College Mangchuwa
District-Balod(C.G.)

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :—

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि, ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ीधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अतिथि शिक्षण सहायक / ग्रंथपाल सहायक / क्रीड़ा सहायक के स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. आयु सीमाः अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल / अतिथि क्रीड़ाधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल सहायक / क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. संबंधित विषयों में नवीन / नियुक्ति पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5. आवेदक के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट / नेट,एम. फिल / पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

6. दिनांक **08 / 08 / 2025** तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। प्राप्त आवेदनों की ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन मान्य नही किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभवित होगा।

7. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

8. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशन दिनांक **11 / 08 / 2025** महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। महाविद्यालय के वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

9. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची मे दावा आपत्ति की तिथि **12 / 08 / 2025** तका होगी।

10. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **13/07/2025** को किया जावेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट **https://govtcollegemangchuwa.com** एवं सूचना पटल में किया जायेगा।

11. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा की संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकारण विचारधीन नही है। साथ ही अभ्यर्थी किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पायें जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नही की गई है।

12. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नही किया जावेगा।

13. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमिति करण का आधार नही होगा।

14. **अतिथि व्यवस्था के अन्तर्गत देय/मानदेय निम्नानुसार होगा :–**

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
03.	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
04.	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	दैनिक मानदेय		
05.	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल/सहायक/ अतिथि क्रीड़ासहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घण्टा कार्य अवधि)	1600/–प्रतिदिन (40,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/–प्रतिदिन (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)

15. आवेदक निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शहीद गैंदसिंह नायक शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा, जिला – बालोद (छ.ग.) एवं आवेदित विषय .... पद .... आवश्यक रूप से लिखें।

16. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही मान जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगें।

17. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी।

18. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

19. कक्षाओं के संचालन के साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य तथा प्रवेश, परीक्षा छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यक एवं कार्यक्रम, क्रीड़ा–गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगें।

20. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है। तो सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे अगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु प्राप्त नही होगें।

नोट :– अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक विज्ञापन संबंधी विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्राचार्य
शहीद गैंदसिंह नायक
शासकीय महाविद्यालय, गंगचुवा
जिला- बालोद (छ.ग.)

Principal
Shaheed Gaindsingh Nayak
Govt. College Gangchuwa
District-Balod (C.G.)